88

नि/ निग0/सीधी/2017/4757

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवाम0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक

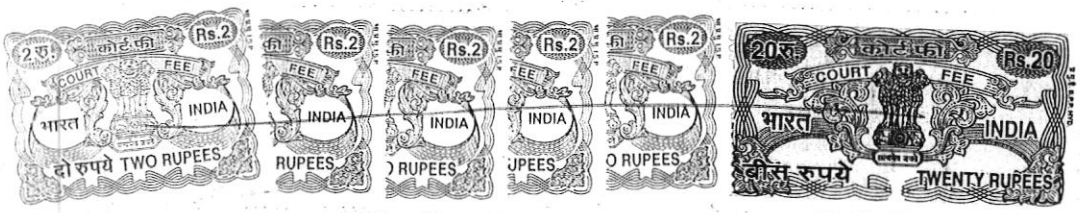

विकास तिवारी तनय श्री रविनाथ तिवारी निवासी ग्राम करवचहा,

तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0 -------- आवेदक/निगराकार

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा हल्का पटवारी बहरी तहसील सिहावलजिला सीधी

म0प्र0

------------- ---- गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहितासन 1959ई0 विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवाके अपील क्रमांक 47। अपील/ 17-18मेपारित आदेश दिनांक 27-9-17।

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि शासन म0प्र0 की आराजी क्रमांक 151 स्थित ग्रामकरवचहा तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0 मे स्थित है, जिसका विधिवत सीमांकन नहीकिया गया हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रामक की हैसियत से विचारण न्यायालय मे आवेदक कोनोटिस दी गई जिसका जवाब दिया गयाव निवेदन किया गया कि विवादित भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया तब पता चलेगाकि आवेदक अतिक्रामक की श्रेणी मे आता हैया नही अगर आता हैतो उसे बेदखल करदिया जाय। लेकिन विचारण न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो/निग./सीधी/2017/भू.रा./4757

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ल उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 471/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.9.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक ने ग्राम करकचहा तहसील बेहरी जिला सीधी ने राजस्व निरीक्षक व हलका पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से आराजी क0 151 की विधिवत पैमाइश की। आवेदक के पिता एवं ग्रामीणजनों की उपस्थिति में पैमाइश एवं स्थल पंचनामा तैयार किया गया जिसमें उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। इससे यह प्रमाणित है कि आवेदक के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई थी। आवेदक का यह कहना उचित नहीं है कि सीमांकन की कार्यवाही के पश्चात् ही अतिक्रामक अथवा बेदखली की कार्यवाही की जाना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी आलोच्य आदेश को विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण माना है।	

इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27.09.17 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 471/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.9.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य